न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय राजस्व मण्ड़ल ग्वालियर केम्प भोपाल म0 प्र0

नि. कं. /2014

R-1481-II/14

जगदीश प्रसाद आ0 श्री कोदाजी आयु 55 वर्ष
जाति नाई निवासी ग्राम हुसैनपुर खेड़ी
तहसील आष्टा जिला सीहोर म0 प्र0 .... निगरानीकर्ता

:– विरूद्ध –:

1. श्रीमति भगवती बाई बेवा श्री अम्बाराम आयु 60 वर्ष
जाति नाई निवासी ग्राम हुसैनपुरखेड़ी
तह. आष्टा जिला सीहोर म0 प्र0

2. मध्यप्रदेश शासन द्वारा तहसीलदार महोदय
आष्टा तहसील आष्टा जिला सीहोर ....रेस्पोडेंट्स

अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर
भोपाल संभाग, भोपाल

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू.रा. संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 01.10.2013 प्रकरण क्रमांक 31अ/12/2012–13 भगवती बाई विरूद्ध शासन में पारित द्वारा श्रीमान तहसीलदार महोदय आष्टा तहसील आष्टा जिला सीहोर

महोदय,

निगरानीकर्ता माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं किए गए सीमांकन कार्यवाही से दुखी व असंतुष्ट होकर यह निगरानी निम्नानंकित तथ्यों एवं विधिक आधारों पर प्रस्तुत करता है :–

:– प्रकरण के तथ्य –:

1. यह कि निगरानीकर्ता एवं रेस्पोडेंट क्रमांक 1 ग्राम हुसैनपुरखेड़ी तहसील आष्टा जिला सीहोर के स्थाई निवासी होकर कृषक है एंव हिन्दु परिवार के सदस्य हैं एंव निगरानीकर्ता की रेस्पोडेन्ट क्रमांक 1 भाभी है।

2. यह कि रेस्पोडेंट क्रमांक 1 द्वारा तहसील न्यायालय आष्टा के समक्ष धारा 129 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता के तहत सीमांकन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत नही किया गया और ना ही भूमि खसरा क्रमांक 4/2, रकबा 0.809 हे0 एवं खसरा क्रमांक 432/2, रकबा 0.809 हे0 कृषि भूमि के खसरे–खातौनी, अक्स की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत नही की गई। इसके पश्चात् भी माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01.10.2013 को सीमांकन किए जाने का आदेश पारति किया गया, एवं सीमांकन कार्यवाही प्रारंभ नही की गई

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R५481-II/14 जिला सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4 –1–2016	प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री प्रेम सिंह ठाकुर एवं अनावेदक अधिवक्ता श्री संजय नायक उपस्थित। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किए गये। उभयपक्ष अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा निगरानी मेमों में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमों में अंकित किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 1.10.13 को भूमि कमांक 4/2 रकवा 0.809 है एवं 432/2 रकवा 0.809 है. के सीमांकन के संबंध में आदेश पारित किया गया किन्तु सीमांकन कार्यवाही प्रारंभ नही की गयी। बिना सीमांकन किए ही फील्डबुक तैयार कर आवेदक की भूमि में कब्जा होना दर्शा दिया गया। उक्त दर्शित सीमांकन कार्यवाही के संबंध में आवेदक को सूचना पत्र भी जारी नहीं किया गया और न ही किसी अन्य माध्यम से सूचना दी गयी। इसके अतिरिक्त आवेदक अधिवक्ता द्वारा वही तर्क प्रस्तुत किए गये जो निगरानी मेमो में अंकित हैं जिन्हें पुनरांकित न किया जाकर उन पर विचार किया जा रहा है। अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही को सही ठहराते हुए निगरानी निरस्त करने का निवेदन किया गया। उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं निगरानी मेमों में अंकित तथ्यों के संबंध में मेरे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि सीमांकन हेतु जारी सूचना पत्र दिनांक 5.9.2013 में आवेदक का नाम तो अंकित है किन्तु उनके सूचना पत्र पर हस्ताक्षर नहीं है। जिससे यह नहीं माना जा सकता कि आवेदक को उक्त सीमांकन कार्यवाही की सूचना थी । इसी प्रकार स्थल पंचनामा का अवलोकन किया गया जिसमें दिनांक अंकित नहीं है किन्तु उसमें यह अंकित है कि मौके पर सीमांकन के समय आवेदक जगदीश उपस्थित था बाद में	

पंचनामा बनाते समय चला गया। पंचनामा पर आवेदक के हस्ताक्षर नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रकरण के अवलोकन से उक्त सीमांकन कार्यवाही को अंतिम रूप प्रदान करने संबंधी किसी भी सक्षम अधिकारी का कोई आदेश सीमांकन प्रकरण में नहीं पाया गया । जिससे यह तो स्पष्ट है कि यह सीमांकन कार्यवाही अपूर्ण एवं अवैधानिक तथा अनुचित है। निगरानी मेमो के संलग्न सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक1.10.13 की प्रमाणित प्रति संलग्न है जो राजस्व निरीक्षक द्वारा तहसीलदार आष्टा को प्रस्तुत किया गया है किन्तु उक्त सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 1.10.13 की मूल प्रति मूल सीमांकन प्रकरण क्रमांक 31/अ–12/12–13 में संलग्न नहीं है। इसके साथ ही मूल प्रकरण में सीमांकन कार्यवाही का पुष्टि आदेश भी अवलोकित नहीं हुआ है जिससे प्रकरण में की गयी सीमांकन कार्यवाही संदिग्ध प्रतीत हो रही है। निगरानी मेमो के संलग्न संहिता की धारा 250 के तहत की जाने वाली कार्यवाही के प्रकरण क्रमांक 1/अ–70/13–14 की आदेश पत्रिका दिनांक 21.11.13 की प्रमाणित प्रति का अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त कथित सीमांकन के आधार पर आवेदक को बेदखल करने की कार्यवाही भी की जा रही है, जबकि उपरोक्त सम्पूर्ण सीमांकन कार्यवाही के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि सीमांकन कार्यवाही दिनांक 1.10.13 को अंतिम रूप प्रदान नहीं किया गया है और न ही कोई मूल प्रकरण में इस आशय का आदेश ही अवलोकित हुआ है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त सीमांकन के आधार पर संहिता की धारा 250 की कार्यवाही भी संदिग्ध होकर अनुचित है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर उपरोक्त सीमांकन कार्यवाही दिनांक 1.10.13 को निरस्त किया जाता है तथा इस सीमांकन कार्यवाही के आधार पर संहिता की धारा 250 की कार्यवाही को भी अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि आवेदक एवं अनावेदक की ओर से यदि सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो वे संहिता की धारा 129 में निहित प्रावधानों के प्रकाश में विधिवत समस्त हितबद्ध एवं सरहदी काश्तकारों को सूचना देकर समस्त सरहदी कृषकों की उपस्थिति में सीमांकन की कार्यवाही करें। इसके

4-12-16

साथ ही आवेदक एवं अनावेदक को भी आदेशित किया जाता है कि वे यदि सीमांकन कराना चाहते हैं तो अपने–अपने स्वत्व संबंधी अभिलेख के साथ पुनः सीमांकन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सीमांकन कराने के लिए स्वतंत्र है। उपरोक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। आदेश प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय को वापस किया जावे। पक्षकार सूचित हों। प्रकरणे दा. रि. हो।

4/1/16

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य